भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1566
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहन

1566. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को जेनरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चिकित्सकों द्वारा उक्त निर्देश का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा देश में जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास देश में जेनरिक दवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं और मेडिकल स्टोरों के लिए कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नाम वाली औषधियाँ स्पष्ट रूप से तथा वरीयत: बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए। इसके अलावा, तत्कालीन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने परिपत्र जारी किए थे जिसके तहत सभी पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिशनरों को उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषदों / आयोग के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), को शक्ति प्रदान की गई है। जब भी चिकित्सकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होती है, ऐसी शिकायतों को ईएमआरबी द्वारा (पहले पूर्ववर्ती एमसीआई द्वारा) उन्हें संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को भेज दिया जाता है जहाँ वे चिकित्सक/मेडिकल प्रैक्टिशनर पंजीकृत हैं। राज्यों को जेनेरिक औषधियों के प्रेस्क्रिप्शन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

सभी के लिए किफायती दरों पर जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 31.12.2022 तक देश के सभी जिलों को शामिल करते हुए लगभग 9,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित किए गए हैं।

औषध विभाग / भारतीय औषध एवं चिकित्सीय उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ-साथ आउटडोर प्रचार के माध्यम से इस योजना के बारे में जागरूकता फैला रहा है। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन औषधि जेनेरिक दवाओं के लाभों और योजना के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। पीएमबीआई जनऔषधि सुगम नाम का एक मोबाइल एप्लिकेशन भी चलाता है, जो उपयोगकर्ताओं को पास के पीएमबीजेके का पता लगाने, जनऔषधि दवाओं, टेलीफोन नंबर की खोज करने आदि जैसे कई तरीकों से उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा, योजना के बारे में और अधिक प्रसार और जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 7 मार्च को जनऔषधि दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की नि:शुल्क औषधि पहल के अंतर्गत जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर अनिवार्य जेनेरिक औषधियों के नि:शुल्क प्रावधान के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

******